रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 25, 1996/माघ 5, 1917
No. 56] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1996/MAGHA 5, 1917

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दल्ली, 25 जनवरी, 1996

आय-कर

का.आ. 69(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 145 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन सभी निर्धारितियों जो वाणिज्यिक लेखा पद्धति के अनुसार खाता बहियां रखते हैं द्वारा अनुपालन किये जाने के लिये निम्नलिखित लेखा मानक अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

क. लेखा नीतियों के प्रकटन से संबंधित लेखा मानक :

(1) वित्तीय विवरणों की तैयारी और उपस्थापन में अंगीकृत सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के प्रकट किया जायेगा ।

(2) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन, वित्तीय विवरणो का एक भाग होगी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटन सामान्यतः एक स्थान पर ही किया जायेगा ।

(3) लेखा नीति में ऐसे किसी भी परिवर्तन को जिसका पूर्व वर्ष या पूर्व वर्षों के पश्चात् के वर्षों में तात्विक प्रभाव हो, को प्रकट किया जायेगा । ऐसे परिवर्तन का, समाधान और परिणामस्वरूप समायोजन को यदि तात्विक हो तो, उस अवधि के वित्तीय विवरणों में, ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव प्रतिबिंबित करने के लिये दर्शाया जायेगा । जहां ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पूर्णतया या भागतः अभिनिश्चित न किया जा सके, तो उस तथ्य को उपदर्शित किया जायेगा । यदि लेखा नीतियों में ऐसे परिवर्तन किये गये है जिनका पूर्व वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं है परन्तु पूर्व वर्ष के पश्चात् के किसी वर्ष पर युक्तियुक्त रूप से उसका तात्विक प्रभाव प्रत्याशित है, तो ऐसे परिवर्तन के तथ्य का पूर्व वर्ष, जिसमें परिवर्तन को अंगीकृत किया गया है, में समुचित रूप से प्रकटन किया जायेगा ।

(4) निर्धारिती द्वारा अंगीकृत लेखा नीतियां ऐसी होनी चाहिये कि उनके आधार पर तैयार और उपस्थापित किये गये वित्तीय विवरणों से व्यापार वृत्ति या व्यवसाय के वास्तविक तथ्य उचित स्थित विर्णन प्रस्तुत करें ।

इस प्रयोजन के लिये लेखा नीतियों के चयन और उपयोजन से शासित करने वाली मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(i) प्रज्ञा :—सभी ज्ञात देनदारियों और घाटों के लिये प्रावधान किया जाना चाहिये चाहे इस राशि का निश्चित रूप से अवधारण नहीं किया जा सकता हो और उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम अनुमान ही उपलब्ध हो।

(ii) प्ररूप की अपेक्षा सार :—संव्यवहारों और घटनाओं का लेखा उपचार और वित्तीय विवरणों में उपस्थापन सार द्वारा शासित होना चाहिये न कि केवल विधिक प्ररूप द्वारा।

(iii) तात्विक :—वित्तीय विवरणों के सभी तात्विक मदों का प्रकटन होना चाहिये, जिसका ज्ञान वित्तीय विवरणों मे उपयोग के विनिश्चय पर असर डाल सकता है।

(5) यदि वित्तीय विवरणों में चालू समुत्थान, स्थिरता और प्रोद्भवन की आधार भूत लेखा धारणाओं का अनुसरण किया जाता है तो, ऐसी धारणाओं की आवश्यकता विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। यदि मूल लेखा धारणा का अनुसरण नहीं किया जाता है तो यह तथ्य प्रकट किया जायेगा।

(6) पैरा (1) से पैरा (5) के प्रयोजनों के लिये पद :—

(क) "लेखा नीतियों" से वह विनिर्दिष्ट लेखा सिद्धान्त और वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण में नियोजितों द्वारा अंगीकृत सिद्धांतों का लागू करने की प्रणाली अभिप्रेत है।

(ख) "प्रोद्भवन" इस धारणा को निर्दिष्ट करता है कि राजस्व और खर्चात प्रोद्भूत हुये हैं, अर्थात् जब वे अर्जित या उपगत (अभिप्राप्त या प्रदत्त धन के रूप में नहीं) और उन अवधियों के वित्तीय विवरणों में अभिलिखित हों, जिनसे वे संबंध है, मान्यता प्राप्त होती।

(ग) "स्थिरता" इस धारणा को निर्दिष्ट करता है कि लेखा नीतियां एक अवधि से दूसरी तक स्थिर है।

(घ) "वित्तीय विवरण" से किसी नियोजित की वित्तीय स्थिति, निष्पादन और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में जानकारी देने वाला कोई विवरणी अभिप्रेत है और इसमें तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा और अन्य विवरण तथा इससे भाग स्वरूप जानकारी टिप्पण सम्मिलित है।

(ङ) "चालू समुत्थान" उस धारणा को निर्दिष्ट करता है कि नियोजित का कारबार उपजीविका या व्यवसाय के समापन या तात्विक रूप से कम करने का न तो कोई आशय है और न आवश्यकता तथा पूर्वानुमेय भविष्य में वहां कारबार, अपजीविका या व्यवसाय जारी रखने का आशय रखता है।

आपूर्व अवधि की और असाधारण मदें के प्रकट तथा लेखा नीतियों के परिवर्तनों की बाबत लेखा मानक।

(7) पूर्व अवधि की मदें पृथक रूप से उनकी प्रकृति और रकम के साथ पिछले वर्ष के लाभ और हानि लेखा में इस नीति से प्रकट की जायेंगी, कि पिछले वर्ष के लाभ और हानि पर उनका समाधान समझा जा सके।

(8) पिछले वर्ष के दौरान उद्भव हो असाधारण मदों के लाभ और हानि लेखा में आय के भाग की रूप में प्रकट किया जायेगा। ऐसी प्रत्येक मद की प्रकृति और रकम को पृथक रूप से इस रीति में प्रकट किया जायेगा कि पिछले वर्ष के प्रचालनों के संबंध में उनका महत्व जोड़ने पर उनका समझा जा सके।

(9) किसी लेखा नीति में परिवर्तन केवल तभी किया जायेगा जब कानून द्वारा भिन्न लेखा नीति का अंगीकरण अपेक्षित हो या यह समझा जाता है कि परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारिती विताय विवरणों को अधिक सार्थक रूप में तैयार और उपस्थित कर सकेगा।

(10) लेखा नीति में कोई ऐसा परिवर्तन जिसका तात्विक प्रभाव हो प्रकट किया जायेगा। ऐसे परिवर्तन का प्रभाव और उसके परिणामस्वरूप किसी खर्चे वाले समायोजन, यदि कोई हो या तो परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिये उस पर्याप्त के वित्तीय विवरणों में दर्शित किये जायेंगे जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया है। यदि ऐसे परिवर्तन का पूर्णतः या आंशिक प्रभाव अभिनिश्चित न किया जा सके तो यह तथ्य उपदर्शित किया जायेगा। यदि लेखा नीतियों में ऐसा परिवर्तन किया जाता है जिसका पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कोई तात्विक प्रभाव नहीं है परन्तु पिछले वर्षों में पश्चात्वर्ती वर्षों में इसका तात्विक प्रभाव पड़ना प्रत्याशित है, ऐसे परिवर्तन के तथ्य को समुचित रूप से उस पिछले वर्ष में प्रकट किया जायेगा जिसमें परिवर्तन अंगीकृत किया गया है।

(ii) लेखा प्राक्कलन में कोई ऐसा परिवर्तन जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में तात्विक प्रभाव हो, प्रकट किया जायेगा और उसका परिणाम निर्धारित किया जायेगा। लेखा प्राक्कलन में ऐसा कोई परिवर्तन जिसका पूर्ववर्ती वर्ष के पश्चात् के वर्षों में तात्विक प्रभाव पड़ने की युक्तियुक्त संभावना है, को भी प्रकट किया जायेगा।

(12) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि ऐसा परिवर्तन लेखा नीति में परिवर्तन है या लेखा प्राक्कलन में, तो वह प्रश्न विनिश्चय के लिये बोर्ड को निर्दिष्ट किया जायेगा ।

(13) पैरा (7) से (12) के प्रयोजनों के लिये अभिव्यक्त—

(क) "लेखा प्राक्कलन" से वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयोजन के लिये बनाया गया प्राक्कलन अभिप्रेत है जो वित्तीय विवरणी तैयार किये जाने के समय विद्यमान परिस्थितियों पर आधारित है ।

(ख) "लेखा नीति" से ऐसी विनिर्दिष्ट लेखा नीति और पद्धति अभिप्रेत है जिसे निर्धारिती द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उपस्थापित करने में अपनाया गया है ।

(ग) "असाधारण मदों" से ऐसे लाभ या हानि अभिप्रेत है जो ऐसी घटनाओं या समव्यवहारों से उद्भूत हुए हैं जो कारबार के सामान्य क्रियाकलाप से भिन्न हैं और जो दोनों तात्विक हैं तथा जिसकी बार-बार या नियमित रूप में पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है । असाधारण मदों में परिस्थितियों में आवश्यक ऐसा तात्विक समायोजन भी है जो यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों के पूर्व वर्षों से संबंधित है परन्तु पूर्व वर्ष में अवधारित किया गया है ।

परन्तु यह कि किसी निर्धारिती के कारबार या वृत्ति या व्यवसाय के सामान्य क्रियाकलाप से उद्भूत होने वाली आय या व्यय की रकम यद्यपि असामान्य या बार-बार घटित होने वाली नहीं है तथापि वह असाधारण मद के रूप में अर्हत नहीं होगी ।

(घ) "वित्तीय विवरण" से ऐसा कोई विवरणी अभिप्रेत है जिससे निर्धारिती की वित्तीय स्थिति उसके निष्पादन और वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, की सूचना मिलती हो और उसमें तुलन-पत्र लाभ और हानि लेखा अन्य विवरण तथा उसका भाग स्वरूप स्पष्टीकारक टिप्पण भी सम्मिलित है ।

(ङ) "पूर्व अवधि मदों" से ऐसा तात्विक प्रभार या उधार अभिप्रेत है जो पिछले वर्ष, एक या अधिक पूर्व वर्षों का वित्तीय विवरण तैयार करने में हुई गलतियों/लोप के परिणामस्वरूप उद्भूत हुई है ।

परन्तु यह कि किसी आकस्मिकता के परिणामस्वरूप उद्भूत प्रभार या उधार जिसका प्राक्कलन धारित होने के समय सही नहीं हो सका, गलती में संशोधन नहीं होगा बल्कि प्राक्कलन में परिवर्तन माना जायेगा और ऐसे मदों को पूर्व अवधि मद के रूप में नहीं समझा जायेगा ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1996 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1997–98 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगी ।

[सं. 9949/फा.सं. 132/7/95-टी.पी.एल]

के.डी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 1996

INCOME-TAX

S.O. 69(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 145 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies the following accounting standards to be followed by all assessees following mercantile system of accounting, namely:—

A. Accounting Standard I relating to disclosure of accounting policies :

(1) All significant accounting policies adopted in the preparation and presentation of financial statements shall be disclosed.

(2) The disclosure of the significant accounting policies shall form part of the financial statements and the significant accounting policies shall normally be disclosed in one place.

(3) Any change in an accounting policy which has a material effect in the previous year or in the years subsequent to the previous years shall be disclosed. The impact of, and the adjustments resulting from, such change, if material, shall be shown in the financial statements of the period in which such change is made to reflect the effect of such change. Where the effect of such change is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be indicated. If a change is made in the accounting policies which has no material effect on the financial statements for the previous year but which is reasonably expected to have a material effect in any year subsequent to previous year, the fact of such change shall be appropriately disclosed in the previous year in which the change is adopted.

(4) Accounting Policies adopted by an assessee should be such so as to represent a true and fair view of the state of affairs of the business, profession or vocation in the financial statements prepared and presented on the basis of such accounting policies. For this purpose, the major considerations governing the selection and application of accounting policies are following, namely :—

(i) Prudence :—Provisions should be made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainly and represents only a best estimate in the light of available information;

(ii) Substance over form :—The accounting treatment and presentation in financial statements of transactions and events should be governed by their substance and not merely by the legal form;

(iii) Materiality :—Financial statements should disclose all material items, the knowledge of which might influence the decisions of the user of the financial statements.

(5) If the fundamental accounting assumptions relating to Going Concern, Consistency and Accrual are followed in financial statements, specific disclosure in respect of such assumptions is not required. If a fundamental accounting assumption is not followed, such fact shall be disclosed.

(6) For the purposes of the paragraphs (1) to (5), the expressions,—

(a) "Accounting policies" means the specific accounting principles and the methods of applying those principles adopted by the assessee in the preparation and presentation of financial statements;

(b) "Accrual" refers to the assumption that revenues and costs are accrued, that is, recognised as they are earned or incurred (and not as money is received or paid) and recorded in the financial statements of the periods to which they relate;

(c) "Consistency" refers to the assumption that accounting policies are consistent from one period to another;

(d) "Financial Statements" means any statement to provide information about the financial position, performance and changes in the financial position of an assessee and includes balance sheet, profit and loss account and other statements and explanatory notes forming part thereof;

(e) "Going concern" refers to the assumption that the assessee has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially the scale of the business, profession or vocation and intends to continue his business, profession or vocation for the foreseeable future.

B. Accounting Standard II relating to disclosure of Prior period and Extraordinary items and changes in accounting policies :

(7) Prior period items shall be separately disclosed in the profit and loss account in the previous year together with their nature and amount in a manner so that their impact on profit or loss in the previous year can be perceived.

(8) Extraordinary items, of the enterprise during the previous year shall be disclosed in the profit and loss account as part of income. The nature and amount of each such item shall be separately disclosed in a manner so that their relative significance and effect on the operating results of the previous year can be perceived.

(9) A change in an accounting policy shall be made only if the adoption of a different accounting policy is required by statute or if it is considered that the change would result in a more appropriate preparation or presentation of the financial statements by an assessee.

(10) Any change in an accounting policy which has a material effect shall be disclosed. The impact of and the adjustments resulting from such change, if material, shall be shown in the financial statements of the period in which such change is made to reflect the effect of such change. Where the effect of such change is not ascertainable, wholly or in part, the fact shall be indicated. If a change is made in the accounting policies which has no material effect on the financial statements for the previous year but which is reasonably expected to have a material effect in years subsequent to the previous years, the fact of such change shall be appropriately disclosed in the previous year in which the change is adopted.

(11) A change in an accounting estimate that has a material effect in previous year shall be disclosed and quantified. Any change in an accounting estimate which is reasonably expected to have a material effect in years subsequent to previous year shall also be disclosed.

(12) If a question arises as to whether a change in accounting policy or a change in an accounting estimate, such a question shall be referred to the Board for decision.

(13) For the purposes of the paragraphs (7) to (12), the expressions,—

(a) "Accounting estimate" means an estimate made for the purpose of preparation of financial statements which is based on the circumstances existing at the time when the financial statements are prepared.

(b) "Accounting policies" means the specific accounting principles and the method of applying those principles adopted by the assessee in the preparation and presentation of financial statements.

(c) "Extraordinary items" means gains or losses which arise from events or transactions which are distinct from the ordinary activities of the business and which are both material and expected not to recur frequently or regularly Extraordinary items includes material adjustments necessitated by circumstances which though related to years preceding to the previous years are determined in the previous year.

Provided that income or expenses arising from the ordinary activities of the business or profession or vocation of an assessee though abnormal in amount or infrequent in occurrence shall not qualify as extraordinary item.

(d) "Financial Statements" means any statement to provide information about the financial position, performance and changes in the financial position of an assessee and includes balance sheet, profit and loss account and other statements and explanatory notes forming part thereof.

(e) "Prior period items" means material charges of credits which arise in the previous year as a result of errors or omissions in the preparation of the financial statements of one or more previous years;

Provided that the charge or credit arising on the outcome of a contingency, which at the time of occurrence could not be estimated accurately shall not constitute the correction of an error but a change in estimate and such an item shall not be treated as a prior period item.

This notification shall come into force with effect from 1st day of April, 1996 and shall accordingly apply to assessment year 1997-98 and subsequent assessment years.

[No. 9949|F. No. 132|95-TPL]

K. D. GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996